न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढवाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 743 सन 2024

अनवान :–

1. सूरेन्द्र सिह पुत्र सादुलसिह जाति राजपुत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

2. कालुसिह पुत्र सादूलसिह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. मेधसिह पुत्र सादूलसिह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. मदनसिह पुत्र सादूलसिह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. रेशमी कवंर पत्नी सादूलसिह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 04/10/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 264 की 25.00 बीधा भूमि वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया को दिनांक 18.07.1964 व को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता सादुल सिह के देहान्त होने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 264 की 25.00 बीधा कुल 25.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /साबिका खसरा न0 264 के हाल खसरा न0 114 की 24.16 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो वर्तमान जमाबन्दी में वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है।

सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वादी के पिता सादुल सिह को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में सादुलसिह पुत्र हरिसिह के वारिस की हैसियत से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 264 हाल खसरा न0 1145 की 24.16 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है जबकि उक्त भूमि वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि है।

वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो वाद ही वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया नियामानुसार खातेदार हो गये किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया के देहान्त होने पर उनकी वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 920/920 के खसरा

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न0 1145 की 4.7944हैक्ट भूमि का वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 920/920 के खसरा न0 1145 की 4.7944हैक्ट भूमि जो वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया को दिनांक 18.07.1964 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता सादुल सिह के देहान्त होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है और विरास्तन से वादी के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 264 की 25.00 बीधा भूमि वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया को दिनांक 18.07.1964 को आवंटन की गई थी आवंटन के समय से उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता सादुल सिह के कब्जा काश्त में रही थी एव वादी के पिता सादुलसिह के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 264 की 25.00 बीधा भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में साबिका खसरा न0 264 की 25.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 1145 की 24.16 बीधा तत्तपश्चात हैक्टयर में परिर्वतन कर 1145 की 4.7944हैक्ट में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज है

सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वादी के पिता सादुल सिह को आवंटित भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में सादुल सिह पुत्र हरिसिह के वारिस की हैसियत से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम विरास्तन से दर्ज भी हो चुकी है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज चली आ रही है।

वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपूत साकिन धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 264 हाल खसरा न0 1145 में आवंटित भूमि दिनांक 18.07.1964 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता सादुल सिह पुत्र हरिसिह के कब्जा काश्त में रही है वाद फौतगी सादुलसिह के वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज व कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता सादुल सिह को वाद भूमि आवंटन होने के तीन वर्षो बाद ही वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी सादुल सिह के देहान्त होने पर उनकी वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2 ता 5 को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा धनसिया के खाता संख्या 920/920 के खसरा न0 1145 की 4.7944हैक भूमि का वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 920/920 के खसरा न0 1145 की 4.7944हैक भूमि जो वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह को दिनांक 18.07.1964 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता सादुल सिह पुत्र हरिसिह के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता सादुलसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा धानसिया के साबिका खसरा न0 264 की 25.00 बीधा भूमि सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया को दिनांक 18.07.1964 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 है जिसके वाद भूमि कब्जा काश्त में है एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सादुलसिह पुत्र हरिसिह के वारिस की हैसियत से विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में बतौर गैरखातेदार दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

वाद भूमि सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया को दिनांक 18.07.1964 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी सादुलसिह पुत्र हरिसिह के देहान्त होने पर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 264 के हाल खसरा न0 1145 की 24.16 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है जो हाल राजस्व रिकार्ड में हैक्टयर में परिर्वतन /पैमुद किये जा चुके है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

वादी के पिता सादुल सिह पुत्र हरिसिह को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 264 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 1145 की 24.16 बीधा में परिर्वतन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 1145 की भूमि वादी के पिता सादुलसिह को दिनांक 18.07.1964 को आवंटित की [illegible] रिकार्ड में वादी के पिता सादुल सिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखा[illegible] व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:43 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा 264 हा[illegible] खसरा न0 1145 में आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एव जो उनके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज सादुलसिह पुत्र हरिसिह को आवंटन दिनांक 18.07.1964 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन दिनांक 18.07.1964 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था जिसे अब बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों से सहमत है व वादी का कथन विधि सम्मत / न्यायोचित है।

वादी के पिता सादुलसिह को वाद भूमि दिनांक 18.07.1964 को आवंटन की गई थी आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटन की दस वर्षो के बाद आंवटि खातेदार काश्तकार हो गया था तहसीलदार का दायित्व था कि आवंटन की शर्तो के अनुसार वादी के पिता को राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था जो नही किया गया वादी के पिता को खातेदार काश्तकार दर्ज नही करने से खातेदारी अधिकार समाप्त नही होते है वह कभी भी अपने अधिकारों की घोषण्णा करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता भादरसिह को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957 / 1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957 / 1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप / 2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957 / 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:43 IST
Reason: SelfAttested

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप / 2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957 / 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह जाति राजपुत साकिन धानसिया (जो सामान्य जाति का सदस्य है) को रोही मौजा धानसिया के साबिका खसरा न0 264 हाल खसरा न0 1145 की 4.7944हैक भूमि आवंटन दिनांक 18.07.1964 को आवंटन की गई थी आवंटि सादुलसिह के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है जिसे वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है किन्तु वाद भूमि वादी के पिता सादुलसिह को आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी अपने पिता सादुलसिह पुत्र हरिसिह को आवंटन की गई भूमि जो बारानी क्षेत्र में आवंटन की गई जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदार अधिकारी उक्त परिपत्र/अधिसुचूनाओं के अधीन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 920/920 के खसरा न0 1145/2 की 2.0720है व खसरा न0 1145/3 की 2.7224हैक कुल 4.7944हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:43 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. सुरेन्द्र सिह पुत्र सादुलसिह जाति राजपुत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

2. कालुसिह पुत्र सादूलसिह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
3. मेधसिह पुत्र सादूलसिह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. मदनसिह पुत्र सादूलसिह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. रेशमी कवंर पत्नी सादूलसिह जाति राजपूत निवासी धानसिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 743 सन 2024 निर्णय दिनांक – 04/10/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 920/920 के खसरा न0 1145/2 की 2.0720है व खसरा न0 1145/3 की 2.7224हैक कुल 4.7944हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:43 IST
Reason: SelfAttested